निर्णय ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस.जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 04/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

राजेन्द्र कुमार सुलानियां पुत्र श्री रामवतार जाति बैरवा निवासी 46, दया देवी गार्डन, कालवाड रोड, झोटवाडा, जिला, जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री ओम प्रकाश शर्मा आर.ए.एस. पीठासीन अधिकारी, सहायक कलक्टर, फागी।
2. रामवतार पुत्र श्री लादूराम सुलानियां
3. विनोद कुमार पुत्र लादूराम सुलानियां
4. ओम प्रकाश पुत्र श्री लादूराम सुलानियां
5. त्रिलासक चन्द पुत्र श्री लादूराम सुलानिया

समस्त जाति बैरवा, निवासी 46, दया देवी गार्डन, हॉटल शान्ती पैलेस, कालवाड रोड, झोटवाडा जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत सहायक कलक्टर फागी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 85/2021 ब उनवानी राजेन्द्र सुलानियां बनाम रामअवतार व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने।

उपस्थितः—

1. श्री आलोक चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री सुरेश कुमार चाहर अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 24.02.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सहायक कलक्टर फागी के समक्ष प्रकरण संख्या 85/2021 ब उनवानी राजेन्द्र सुलानियां बनाम रामअवतार व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर फागी से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार चाहर उपस्थित है।
3. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

जिला कलक्टर
जयपुर

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त पत्रावली में दिनांक 06.01.2022 को अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया गया जिसे बिना सुने ही न्यायालय द्वारा उक्त पत्रावली अन्तिम बहस हेतु दिनांक 11.01.2022 नियत कर दी। अधीनस्थ न्यायालय उक्त प्रकरण को फैसल करने पर आमादा है जिसके चलते न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में छोटी छोटी तारीख पेशियां दी जा रही है इसलिए अब प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय से न्याय की उम्मीद नही रही है । इसलिए प्रार्थी के कानूनी हक व अधिकारों की लिहाज से उक्त पत्रावली को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है। जिससे प्रार्थी को न्याय प्राप्त हो सकें । उक्त तथ्यो की ताईद इस प्रकार भी होती है । प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4, व 5 को दिनांक 04.01.2022 व दिनांक 06.01.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 के चैम्बर में आते–जाते भी देखा गया है एवं अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4 व 5 को अप्रार्थी संख्या 1 के साथ बातचीत करते हुये भी देखा गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4 व 3 के प्रभाव में है। इसलिए न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे । जिससे प्रार्थी के हक व अधिकारों की रक्षा हो सकें। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय मे मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 3 के सुयोग्य अधिवक्ता ने उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी ने सरासर गलत व मनघढन्त आरोपों के साथ यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी ने प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मन्शा से यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। फिर भी यदि मान्य न्यायालय द्वारा अन्यत्र न्यायालय में प्रकरण का स्थानान्तरण किया जाता है, तो एक तारीख निश्चित करके अन्य किसी भी न्यायालय मे स्थानान्तरण कर दिया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. चूकि प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने पर शंका जाहिर की है। न्याय का नैसर्गिक सिद्धान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय मे मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता भी प्रकरण का अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने पर सहमत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. न्यायालय सहायक कलक्टर फागी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 85/2021 व उनवानी राजेन्द्र सुलानियां बनाम रामअवतार व अन्य को न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय में मुन्तकिल किया जाता है।

9. पक्षकारान न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 14.03.2022 को उपस्थित हो। सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय प्रकरण दर्ज कर उभयपक्ष को गुणावगुण एवं मैरिट पर सुनकर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

जिला कलक्टर
जयपुर

10. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा सहायक कलक्टर फागी व सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

11. निर्णय आज दिनांक 24.02.2022 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजन विशाल)
जिला कलक्टर
जयपुर